

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 1169/2024

अनवान : -

1. आत्माराम पुत्र भूप सिंह जाति धाणक निवासी मालिया तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. वेद प्रकाश पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर ।
3. प्रेमा पुत्री भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
4. कमला पुत्री भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. शारदा पुत्री भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
6. विमला पुत्री भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: २५/१२/२०२४

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा मालिया तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7860 है० भूमि में से 533/6104 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक भूपसिंह पुत्र सुरजाराम के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं ।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में भूपसिंह पुत्र सुरजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । भूपसिंह पुत्र सुरजाराम का स्वर्गवास हो चुका है भूपसिंह पुत्र सुरजाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा मालिया तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073-2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7860 है० भूमि में से 533/6104 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 काबिज है । वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है ।

८१  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर



वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण भूपसिंह, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में भूपसिंह पुत्र सुरजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूपसिंह पुत्र सुरजाराम का स्वर्गवास हो चुका है भूपसिंह पुत्र सुरजाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने भाईयो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073-2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7860 है० भूमि में से 533/6104 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा मालिया

अ  
उपस्थित अधिकारी  
नोहर

तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7860 है0 भूमि में से 533/6104 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक भूपसिंह पुत्र सुरजाराम के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में पेमा पुत्र सुखा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पेमा पुत्र सुखा का स्वर्गवास हो चुका है पेमा पुत्र सुखा के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 14 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक पेमा पुत्र सुखा के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मालिया तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7860 है0 भूमि में से 533/6104 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक भूपसिंह पुत्र सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1169/2024

अनवान : -

1. आत्माराम पुत्र भूप सिंह जाति धाणक निवासी मालिया तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. वेद प्रकाश पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर ।
3. प्रेमा पुत्री भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
4. कमला पुत्री भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. शारदा पुत्री भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
6. विमला पुत्री भूप सिंह जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1169 सन 2024 निर्णय दिनांक - 27/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मालिया तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2072-2075 के खाता संख्या 39/40 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 16.7860 है0 भूमि में से 533/6104 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक भूपसिंह पुत्र सुरजाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

ai  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर